न्यायालयः– तेईसवे व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी– श्रीमती प्रियंका सोलंकी)

रजिस्ट्रेशन आर.सी.एस. ए/576/2026
फाईलिंग नं. आर.सी.एस. ए/3370/2026
सी.एन.आर.नं.–एम.पी.0701–012438–2026
संस्थित/फाईलिंग दिनांक–04.06.2026

बलराज सिंह यादव पुत्र श्री सुंदर सिंह यादव, उम्र–43 वर्ष,
निवासी–शिवशक्ति नगर, मोतीझील, ग्वालियर म.प्र.

.....वादी/आवेदक

विरूद्ध

1. संजय जाटव पिता स्व. श्री बाबूलाल जाटव, उम्र–27 बर्ष,
2. महेश जाटव पिता स्व. श्री बाबूलाल जाटव, उम्र–43 वर्ष,
3. प्रमोद जाटव पिता स्व. श्री बाबूलाल जाटव, उम्र–38 वर्ष,
4. शेर सिंह जाटव पिता स्व. श्री बाबूलाल जाटव, उम्र–29 वर्ष,
5. श्रीमती ममता, पत्नी शैलेन्द्र सिंह पुत्री स्व. बाबूलाल जाटव,
   उम्र–31 वर्ष,
6. श्रीमती हेमा पत्नी प्रवीण पुत्री स्व. श्री बाबूलाल जाटव,
   उम्र–24 वर्ष,

   समस्त निवासीगण–ग्राम पुरानी छावनी, जिला ग्वालियर म.प्र.

7. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर
कार्यालय सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र.

.....प्रतिवादीगण/अनावेदकगण

वादी/आवेदक व्दारा : श्री विष्णु शर्मा अधि.।

प्रतिवादीगण/अनावेदकगण व्दारा : एकपक्षीय।

——::—— आदेश——::——
(आज दिनांक 08/07/2026 को पारित किया गया)

01— इस आदेश द्वारा वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आई.ए. क्रमांक 3/26, अंतर्गत **आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.** दिनांक 29.05.2026 का निराकरण किया जा रहा है।

02— वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आई.ए.क्र. 3/26 संक्षिप्तः इस प्रकार है, कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी को वाद में सफल होने की पूर्ण आशा है। वादी को स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 490 रकवा 14 विस्वा स्थित गंगापुर, पटवारी हल्का रूद्रपुरा, जिला ग्वालियर है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में एक व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 548/2021 बाबूलाल जाटव मृत द्वारा वारिसान संजय आदि विरूद्ध रामस्वरूप आदि विचाराधीन है। वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में सभी वारिसान अर्थात् प्रतिवादीगण द्वारा वादी बलराज के पक्ष में विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 29.04.2024 प्रतिफल राशि 10,00,000/—रूपये के एवज मे साक्षीगण के समक्ष संपादित किया तथा अग्रिम राशि 1,10,000/—रूपये राशि दिनांक 29.04.2024, 3,00,000/—रूपये

राशि दिनांक 13.07.2025, 10,000/—रूपये दिनांक 10.09.2025 एवं 5000/—रूपये दिनांक 11.03.2026 को वादी से प्राप्त किये। इस प्रकार वादी द्वारा कुल 4,25,000/—रूपये अग्रिम राशि प्रतिवादीगण को प्रदान की एवं 5,75,000/—रूपये राशि विक्रय पत्र निष्पादन के समय देना तय हुआ था। विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 29.04.2024 को प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त संपत्ति का भौतिक आधिपत्य दे दिया था जिसका उल्लेख अनुबंध पत्र के पत्र संख्या क्रमांक 3 में है। यह भी उल्लेखित है कि न्यायालय में लंबित प्रकरण के निराकरण के पश्चात् विक्रय पत्र निष्पादित किया जायेगा।

03— आवेदन पत्र में यह भी अभिकथित है, कि प्रकरण के विचारण के दौरान बाबूलाल के वारिसान अर्थात् प्रतिवादीगण के मन में बदयंती आ गयी तथा वह वादग्रस्त संपत्ति को दिनेश यादव को विक्रय करना चाहते हैं। वह प्रकरण क्रमांक 548/2021 के अन्य प्रतिवादीगण के मध्य दुर्भी संधि कर दावा प्रत्याहरित कर वादी को वादग्रस्त संपत्ति से बेदखल करने हेतु प्रयासरत हैं। वादी को यह आशंका है कि प्रतिवादीगण किसी भी स्तर पर उक्त लंबित प्रकरण समाप्त कर वादग्रस्त संपत्ति अन्य को विक्रय कर देंगे। दिनांक 24.04.2026 को प्रतिवादीगण ने वादी को यह धमकी दी कि उक्त प्रकरण के अन्य प्रतिवादीगण से राजीनामा कर संपत्ति को खुर्द—बुर्द कर देंगे एवं वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं करेंगे और न ही राशि वापस लौटायेंगे साथ ही झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। वादी द्वारा आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी में रिपोर्ट करने का प्रयास किया, परंतु पुलिस ने वादी का आवेदन प्राप्त नहीं किया और न ही कोई कार्यवाही की। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को विक्रय कर दिया जाता है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी। प्रतिवादी क्रमांक 4 प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है। वादी का वाद सफल सिद्ध है तथा सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 6 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का निवेदन किया कि वादी क्रमांक 1 लगायत 6 वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र विक्रय न करे तथा वादी को जबरदस्ती बेदखल न करें एवं न ही

कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न करें और न ही उपरोक्त कृत्य किसी से करायें।

04— प्रकरण में प्रतिवादी कमांक 1 लगायत 7 के विरूद्ध दिनांक 19.06.2026 को अनुपस्थिति की दशा में एकपक्षीय कार्यवाही अग्रेषित की गई है। अतः प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाब का लोप है।

05— अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निराकरण करने हेतु न्यायालय द्वारा प्रमुखतः तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक हैः—

(अ) क्या प्रथम दृष्टया वाद वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
(ब) क्या अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी ?
(स) क्या सुविधा का संतुलन का सिद्धांत वादी/आवेदक के पक्ष में है ?

//सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष//

—विचारणीय प्रश्न कमांक 01—

06— वादी व्दारा आवेदन पत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा प्रकरण में अपने पक्ष समर्थन में धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र, डाक रसीद, अनुबंध पत्र दिनांक 29.04.2024, शिकायती आवेदन पत्र दिनांक 02.05.2026, लिखतम अनुबंध पत्र दिनांक 13.07.2025 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

07— वादी का यह अभिकथन है, कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे कमांक 490 रकवा 14 विस्वा ग्राम गंगापुर पटवारी हल्का नंबर 34, रूद्रपुरा, जिला ग्वालियर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा बाबूलाल

के विधिक वारिसान की हैसियत से वादग्रस्त संपत्ति को पैतृक संपत्ति होना बताते हुए वादी के पक्ष में विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 29.06.2024 संपादित कर उक्त दिनांक को वादी को वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य प्रदान किया था, जिसका उल्लेख अनुबंध पत्र में है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को अनुबंध पत्र पेटे अग्रिम राशि कुल 4,25,000/—रूपये अदा की तथा शेष 5,75,000/— रूपये राशि विक्रय पत्र निष्पादन के समय देना तय हुआ था।

08— वादी का यह भी अभिकथन है, कि वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, ग्वालियर म.प्र. के न्यायालय में व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 548/2021 बाबूलाल जाटव मृत द्वारा विधिक वारिसान संजय आदि विरूद्ध रामरूप आदि लंबित है। उभयपक्ष के मध्य विक्रय पत्र का निष्पादन उक्त लंबित प्रकरण के निराकरण के पश्चात होना तय हुआ था। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रकरण क्रमांक 548/2021 के कोई दस्तावेज हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे उक्त प्रकरण के पक्षकार, वादग्रस्त संपत्ति, अनुतोष आदि के तथ्य अस्पष्ट हैं। वादग्रस्त संपत्ति प्रतिवादीगण की पैतृक संपत्ति अथवा प्रतिवादीगण के स्वामित्व की होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हैं।

09— वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य के संबंध में वादी का कहना है कि विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 29.04.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य प्रदान कर दिया गया था। विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 29.04.2024 के उन्वान में ''लिखितम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय अनुबंध पत्र स्टाम्प कीमती 1000/—रूपये नग—1'' अंकित है, परंतु उक्त दस्तावेज मात्र 1000 रूपये के स्टाम्प पर तैयार किया जाकर नोटराईज्ड दस्तावेज है। उक्त विक्रय अनुबंध पत्र अपंजीकृत दस्तावेज है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विक्रय अनुबंध पत्र का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, परंतु यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यदि उभयपक्ष के मध्य संपत्ति के आधिपत्य का अंतरण होता

है तो वह दस्तावेज विक्रय की श्रेणी में आता है, जिसके संबंध में उभयपक्ष द्वारा पर्याप्त शुल्क अदा किया जाना आवश्यक है। उक्त तथ्य साक्ष्य की विषय वस्तु है, जिनका निर्धारण प्रकरण में साक्ष्य के उपरांत गुण–दोषों के आधार पर किया जाना है।

10– वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय अनुबंध पत्र दिनांक 29.04.2024 प्रथमदृष्टया चुनौती के अधीन है। वादी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में अन्य न्यायालय में लंबित प्रकरण के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। शिकायती आवेदन पत्र दिनांक 02.05.2026 की कंडिका क्रमांक 8 में यह लेख है कि प्रतिवादीगण ने स्व. बाबूलाल के वारिस होते हुए वादग्रस्त संपत्ति पैतृक आराजी होना बताते हुए विक्रय अनुबंध पत्र संपादित किया है, परंतु प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति के स्वत्व संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में वादग्रस्त संपत्ति के पैतृक संपत्ति अथवा स्वत्व के दस्तावेज आवश्यक हैं। वादी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य के संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र के अन्यथा अन्य कोई दस्तावेज राजस्व अभिलेख आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रकार आवेदन पत्र में अभिकथित तथ्यों के संबंध में दस्तावेजों का लोप है।

11– अतः वादी/आवेदक प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है। विचारणीय प्रश्न क्र0 1 **''प्रमाणित नहीं'** के रूप में निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्र0:–02 व 03

12– हस्तगत प्रकरण में वादी/आवेदक अपना वाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। वादी के प्रथमदृष्टया वादग्रस्त संपत्ति के अधिकार प्रभावित होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। जिससे उपरोक्त तथ्य के आलोक में अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन का बिंदु भी वादी/आवेदक के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है।

इस कारण विचारणीय प्रश्न क0 2 व 3 **''प्रमाणित नहीं''** के रूप में निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क0:—04

13— उपरोक्त क्रमवार विवेचना से स्पष्ट है कि वादी/आवेदक अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति प्रमाणित करने में असफल रहे है। साथ ही वह यह भी प्रमाणित करने में असफल रहे है कि प्रकरण में सुविधा का संतुलन भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के पक्ष में है। अतः वादी/आवेदक व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. आईए क0 3/26 दिनांक 29.05.2026 **''निरस्त''** किया जाता है।

दिनांक —08.07.2026
स्थान —जिला ग्वालियर म0प्र0

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं मुद्रांकित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही/—
(श्रीमती प्रियंका सोलंकी)
तेईसवे व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर म0प्र0

सही/—
(श्रीमती प्रियंका सोलंकी)
तेईसवे व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर म0प्र0

PRIYANKA SOLANKI

Digitally signed by PRIYANKA SOLANKI
Date: 2026.07.08 17:28:06 +0530